पुर्नविनियोग

संख्या-345/III(2)/05-11(बजट)/2004

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्तसचिव,
उत्तराचल शासन ।

सेवामे,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लो0नि0वि0,देहरादून ।

देहरादून,दिनांक 10 मार्च ,2005

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषयः- वित्तीय वर्ष 2004-2005 में निर्माणाधीन मार्ग/सेतु के कार्यो हेतु नाबार्ड पोषित योजना मद में प्राविधानित धनराशि के पुर्नविनियोग की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 4491/41 बजट (नाबार्ड) /2004-05 दिनांक 21.2.05 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश सं0 247/III-2/05-11 (बजट)/2004 दिनांक 7.2.2005 संख्या-483/III-2/04-11 (बजट) /2004 दिनांक 18 मई ,2004 ,संख्या-1578/III(2)/04-11(बजट) दिनांक 06 सितम्बर, 2004 एवं सं0-2604/III-2/04-11(बजट) दिनांक 29 नवम्बर,2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में निर्माणाधीन मार्ग/सेतु के कार्यो हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को देखते हुए नाबार्ड पोषित योजनाओं की मद में प्राविधानित धनराशि की अवशेष धनराशि से रू0 1680.00 लाख (रू0 सोलह करोड अस्सी लाख मात्र) की धनराशि को संलग्न बी.एम.-15 के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से व्यावर्तित कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर व्यय हेतु रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का सी.सी. एल. के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा यह सुनिशिचत कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का कार्यवार/खण्डवार आबंटन ऐसी चालू योजनाओ पर शासन की सहमति के प्रथमतः किया जायेगा,जिसमे 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है,जिन खण्डो मे 75 प्रतिशत या उससे अधिक के कार्य अवशेष नही है,उन खण्डो मे 50 प्रतिशत से अधिक के कार्य किये जायेगे, कार्यवार/खण्डवार आबंटन कर संकलित प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह मे उपलब्ध कराया जायेगा ।अग्रेत्तर त्रैमास की सी.सी.एल. जारी करने से पूर्व यह अवश्य सुनिशिचत कर लिया जाय कि पूर्व मे सी.सी.एल.द्वारा निर्मित धनराशि का संबंधित खण्ड/ प्रखण्ड द्वारा पूर्ण उपयोग कर ली गई हों ।

3- व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ-साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की तकनिकी स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय । कार्य करते समय टैण्डर/कुटेशन विषयक नियमो का अनुपालन किया जायेगा ।

4- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे ।

5- स्वीकृति के एक माह के अन्दर अब तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत कार्यो का विवरण एवं वित्तीय तथा भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा । वर्ष 2004-05 मे स्वीकृत धनराशि के विपरीत कार्यो का विवरण व भौतिक प्रगति 31 मार्च,2005 के प्रथम सप्ताह मे उपलब्ध करा दी जायेगी और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में शेष सभी शर्तें ऊपर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 6.9.2004 व 29.11.2004 के अनुसार ही रहेगी ।

क्रमश...2/..

7– उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आबंटन कर वित्तीय व भौतिक लक्ष्यों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

8– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक 5054 सडको एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सडके–आयोजनागत–800 –अन्य व्यय –03–राज्य सेक्टर–01 चालू निर्माण कार्य–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं0 687/ XX V11/ (3)/2005 दिनांक 7.3.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।

संख्या–345(1)/ III(2)/04,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद / देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/ नैनीताल ।
3– समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकरी ,उत्तरांचल ।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
5– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल,देहरादून ।
6– मुख्य अभियन्ता ,गढवाल/कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/ अल्मोडा ।
7– वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
8– लोक निर्माण अनुभाग–1,उत्तरांचल शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।

rakesh joshi Go mw-285

उत्तरांचल शासन,
वित्त अनुभाग–3
संख्या–687,/ वित्त अनुभाग–3/2005
देहरादून ,दिनांक 07 मार्च , 2005

पुर्नविनियोग स्वीकृत ।

(के.सी. मिश्र)
अपर सचिव ।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
उत्तरांचल,ओबराय भवन,माजरा ,
देहरादून ।

संख्या– 345(1) / III–2/04– 11 (बजट)/2005 दिनांक 10 मार्च ,2005
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
2. वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
3. गार्ड बुक ।

(टी.के. पन्त)
संयुक्त सचिव ।

rakesh & ta226173

(धनराशि हजार रूपयें में)

आय–व्ययक प्रपत्र–15 पुर्नविनियोग 2004–2005

वित्त नियन्त्रक अधिकारी, मुख्य अभियन्ता स्तर–1,लोक निर्माण विभाग,प्रशासनिक विभाग,लोक निर्माण विभाग,उत्तरांचल शासन ।

अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण ।	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि हेतु अनुमानित व्यय	अवशेष(सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमे धनराशि हस्तान्तरित की जानी है।	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग केबाद स्तम्भ –1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
पूँजीलेखा– 5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय(कमशः) 04–जिला तथा अन्य सड़कें (कमशः) 800–अन्य व्यय (कमशः) 08 नाबार्ड पोषित (आयोजनागत) 00–24–वृहत्त निर्माण कार्य 700000	451312	80688	168000(क)	पूँजीलेखा– 5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय(कमशः) 04–जिला तथा अन्य सड़कें (कमशः) 03– राज्य सेक्टर (आयोजनागत) 01–चालू निर्माण कार्य 00–24–वृहत्त निर्माण कार्य बजट प्राविधान स्थानान्तरित धनराशि 670000– मूल प्राविधान 168000(ख) 123415–विभिन्न मदों से पुर्नविनियोग 200000–प्रथम अनुपूरक से 993415 व्यवस्था	1161415	532000	(क) प्रस्ताव परिपक्व न होने तथा नाबार्ड से धनराशि अवमुक्त न होने के कारण । (ख) चालू कार्यो हेतु बजट व्यवस्था पर्याप्त न होने लेकिन आवश्यकता अधिक होने के कारण ।
योगः– 700000	451312	80688	168000	993415 168000	1161415	532000	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोग से बजट के परिच्छेद 150–156 मे उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लघंन नही होता है।

(के.सी. मिश्र)
अपर सचिव

(डी.के. पन्त)
संयुक्त सचिव ।